

# फर्द अहकाम

ग्यालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) एवं उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

कदमा खमन्तीलाल विपक्षी उनु  
 53,188R-1 पत्रावली संख्या 79/21 सन् 2025

कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गईं
<p>23/1/25                      पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता पक्षकारान उप।                      उपस्थित अधिवक्तागण द्वारा न्यायिक कार्य का                      बहिष्कार करने/शोक सभा कर न्यायिक कार्य                      स्थगित रखने/अधिकारी जी आज अवकाश/                      भ्रमण/मीटिंग में प्यारे है। पत्रावली पूर्व आदेश                      के क्रम में दिनांक <u>28/7/25</u> को पेश हो।                      B/o                      S</p> <p><u>28/7/25</u>                      पत्रावली पेश हुई अधि. उभयपक्ष उप।                      प्रतिवादी संख्या 2 कि और या पत्रा 07 R11CPC                      पेश किया शा.का रहे। नकल दिखाई गई।                      पत्रावली वास्तु पक्ष या पत्रा 07 R11CPC                      दिनांक 6/10/25 को पेश हो।                      M</p> <p>6/10/25                      वकूलाय वादी/प्रतिवादी उप <u>या 07 R11CPC</u>                      के लिखे मौका चाहते है। अतः <u>P2</u>                      अवसर दिया जाकर पत्रावली दि. <u>8/12/25</u>                      को पेश हो।                      (SDO) <u>मावली</u></p>	



08/12/25

पत्रावली पेडा हुई। अधिवक्ता वादी मय  
स्वयं वादी अनुपस्थित। अधिवक्ता वादी मय  
स्वयं वादी को बार-बार आवाजे दिलवाई गई।  
समय साँध 5:00 PM हो चुके हैं। स्वयं वादी  
एवं उनके अधिवक्ता अब तक अनुपस्थित हैं।

अतः अधिवक्ता वादी मय स्वयं वादी अनुपस्थित  
रहने पर वादी का वाद अदम लाजरी अदम पैरवी  
में खारिज किया जाता है। पत्रावली फंसल शुमार  
होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय शुले न्यायालय सुनाया गया।



सहायक कलक्टर  
(SDO) माधुली